

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
!! अधिसूचना !!

पटना-15, दिनांक- 23.7.19

ज्ञापांक:-21/त.क.च.आ.-05/2017,(खंड)सा.प्र. 9837 / बिहार तकनीकी सेवा आयोग

अधिनियम, 2014 की धारा-8 में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 11366 दिनांक 24.08.2018 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल किये गये "पशु चिकित्सक" के अंतर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा के मूल कोटि के "भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद" भी शामिल हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21 त.क.च.आ.-05/2017(खंड),सा.प्र. 9837 / पटना-15, दिनांक- 23.7.19

प्रतिलिपि, वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21 त.क.च.आ.-05/2017(खंड),सा.प्र. 9837 / पटना-15, दिनांक- 23.7.19

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/त.क.च.आ.-05/2017,सा.प्र. 9837 / पटना-15, दिनांक- 23.7.19

प्रतिलिपि, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-21/त.क.च.आ.-05/2017(खंड),सा.प्र. 9837 / पटना-15, दिनांक- 23.7.19

प्रतिलिपि, आई.टी.मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना का विभागीय वेबसाइट पर डालने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।